न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बापिणी जिला फलौदी

पीठासीन अधिकारी :– अमिता विश्नोई आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 44/2024

अनवान :– भारमलराम बनाम नरेन्द्र वगैरा

रीख हुक्त	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्त की तामील में जारी हुए

प्रार्थी/वादीः–
1. भारमलराम पुत्र रामकिशन जाति विश्नोई निवासी मतौडा तहसील बापिणी जिला फलौदी

बनाम

अप्रार्थी/प्रतिवादीः–
1. नरेन्द्र पुत्र हरकाराम
2. भगाराम पुत्र मुलाराम
3. मांगीलाल पुत्र मन्छाराम जाति जाट निवासी मतौडा तहसील बापिणी जिला फलौदी।
4. तहसीलदार बापिणी भुमिधारी सरकार

दरख्वास्त अर्न्तगत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भु–राजस्व अधिनियम

प्रकरण में पैरोंकार अभिभाषक उपस्थित :–
अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री राजुराम चौधरी।
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्यां 01 से 03 :– कोई नहीं।
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्यां 04 :– राज–पेरोकार।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 19/11/2025

अनवान प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि :– प्रार्थी व अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम मतौडा के खसरा नम्बर 30 रकबा 0.5099 हैक्टेयर एंव खसरा नम्बर 636/30 रकबा 0.2711 हैक्टयर जमीन आई हुई है तथा प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 30 की तरमीम एवं प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 636/30 की तरमीम कब्जे कास्त के विपरित गलत कर दी गयी हैं। मौके पर कब्जे कास्त के विपरित राजस्व नक्शा में दर्ज होने से भविष्य में पक्षकारों के मध्य तरमीम को लेकर विवाद उत्पन्न नहीं हो जिसके लिए माफिक कब्जे कास्त अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त करवानें हेतु हल्का पटवारी व भु.अभिलेख निरीक्षक से निवेदन किया गया कि आर. आर. टी 2007(2) पेज 947 की नजीर के मतानुसार मौके पर वास्तविकता के मुताबिक नक्शे में तरमीम करना भु–अभिलेख अधिकारी का दायित्व हैं परन्तु नहीं करने पर तहसीलदार बापीणी से आग्रह किया जो उन्होंने इन्कार कर दिया। जिसके कारण प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरीये समन तलब किया गया। अप्रार्थी को भेजे गये समन की डाक रसीदें न्यायालय में पेश की जो शामिल मिसल की गयी। तथा अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुऐ और सुनवाई के लिए प्रर्याप्त अवसर प्रदान करने बावजुद पेश नही करने पर बन्द किया गया। प्रकरण में तहसीलदार बापिणी से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी।

सहायक कलेक्टर बापिणी

चुकिं तहसीलदार बापिणी की तरफ से मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जो शामिल मिसल की गयी। तहसीलदार बापिणी ने अपने मौका जांच रिपोर्ट में बताया की मौके पर जांच रिपोर्ट मुताबिक सभी खातेदार पक्षकार अपने अपने हक–हिस्सें की भुमि पर काबिज हैं। और प्रतिवादीगण संख्यां 01 से 03 की जमीन की पैमाईस करवाने के बाद खसरा नम्बर 636/30 रकबा 0.2711 हैक्टेयर पर औधौगिक निर्माण कार्य करवाया गया हैं। प्रार्थी की खातेदारी भुमि खसरा नम्बर 30 रकबा 0.5099 हैक्टेयर मौके कब्जे अनुसार सही पाई गई हैं। जिसकी तरमीम में कोई परिवर्तन की गुंजाईश नहीं हैं। माफिक नक्शा अनुसार मौका पाया गया। तथा मौका रिपोर्ट के तहत वर्तमान तरमीम सही है। तथा पटवारी रिपोर्ट व राज–पैरोकार के जबाब के तहत तरमीम संशोधित की जानी उचित नहीं है। पत्रावली अन्तिम बहस के लिए मुकर्रर की गयी।

पत्रावली पर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी। जिसमे प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के पैरान को दौहराते हुऐ मौका रिपोर्ट गलत एंव पक्षपात पुर्वक बनाई जाना जाहीर कर पुनःरिपोर्ट मंगवाई जा कर तरमीम दुरूस्ती किया जाने का आग्रह करते हुऐ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अध्ययन एवं रिर्पोट का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन एवं मनन करने पर स्पष्ट है कि तहसीलदार बापिणी द्वारा मौका जांच रिपोर्ट सामिल मिशल किया गया और बताया कि जांच रिपोर्ट के साथ लगे राज–पैरोकार के जबाब के अनुसार तरमीम संशोधित की जानी उचित नहीं है। ओर प्रार्थी को तरमीम दुरूस्त ही है। इसलिए धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय अभिमत से स्वीकार योग्य नहीं पाया है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है। तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम मतौडा के खसरा नम्बर 30 रकबा 0.5099 हैक्टेयर एंव खसरा नम्बर 636/30 रकबा 0.2711 हैक्टयर भुमि की तरमीम तहसीलदार बापिणी की मौका रिर्पोट व राज–पैरोकार के जबाब अनुसार तरमीम संशोधन की आवश्यकता नहीं हैं। अतेव हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल–शुमार हो कर नम्बर से कम कर दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 15/11/2025 खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बापिणी